



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite
Police Line, District- Nagaur 341001

email : rorpcb.nagaur@gmail.com

REGISTERED POST/E-MAIL



RPCB/RO NGR/PUB-36/74-78

Date: 03/04/25

M/s Sh. Babu Lal Khadav S/o Sh. Baksha Ram Khadav,
R/o- Jaton Ka Bichala Bans Luniyawas,
Tehsil- Merta, District- Nagaur.

Sub.- Regarding Public Hearing for Environmental Clearance of proposed Mining Project at Near Village- Bakliyawas, Tehsil- Merta, District- Nagaur by M/s Sh. Babu Lal Khadav S/o Sh. Baksha Ram Khadav, M.L. No. 47/2022, (Plot No. 64), Village- Bakliyawas, Tehsil- Merta, District- Nagaur with area of 1.0930 hectare and the proposed production capacity of 71,550 TPA (ROM) for Masonry Stone mining which is located in Cluster (ML No.- 47/2022, 10/2022, 11/2022, 41/2022, 42/2022, 43/2022, 44/2022, 45/2022, 46/2022) having total cluster area of 10.5526 Hectare with cluster production capacity of 9,09,424 TPA.

Ref.- 1. Letter no. 2163 dated 02/04/2025 issued by the District Collector, Nagaur.
2. This Office letter no.7530 dated 20.03.2025.
3. Terms of Reference (ToR) Issued by SEAC, Rajasthan, File No. RJ/24/SEAC1/MIN/TOR/0154 Dated 12.04.2024.

Sir,

In reference to above it is submitted that in compliance to, District Collector, Nagaur office letter no. 2163 dated 02/04/2025 in which public hearing has been finalized on dated 08/05/2025 at 01.00 PM. Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper and one regional daily newspaper in any case on or before 07/04/2025 The newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Bharat Nirman Rajeev Seva Kendra (I.T. Center) Riyanshyamdas, Tehsil: Merta, District: Nagaur At 01.00 PM. on 08.05.2025 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely,

(Rajkumar Meena) o/e

Regional Officer, Nagaur

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The District Collector, Nagaur in compliance to your letter no 2163 dated 02/04/2025.
3. The Sub- Division Magistrate, Merta, Tehsil- Merta, District- Nagaur
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Regional Officer, Nagaur o/e

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite
Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL


पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "मैसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्री बाबू लाल खदाव पुत्र श्री बक्शा राम खदाव, एमएल नंबर -47/2022, (प्लॉट नं. 64) प्रस्तावित क्षेत्र- 1.0930 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 71550 टीपीए (रोम), निकट गांव- बाकलियावास, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर (राजस्थान) जो कि मैसनरी स्टोन खनन, क्लस्टर (एमएल नंबर -47/2022, 10/2022, 11/2022, 41/2022, 42/2022, 43/2022, 44/2022, 45/2022, 46/2022), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 10.5526 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता- 9,09,424 टीपीए में स्थित है में मैसनरी स्टोन के खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री बाबू लाल खदाव पुत्र श्री बक्शा राम खदाव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, नागौर।
5. CEO जिला परिषद् नागौर।
6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
7. तहसीलदार, मेड़ता।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मेड़ता।
11. ग्राम पंचायत, रियांश्यामदास।
12. भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) रियांश्यामदास, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 08.05.2025 (गुरुवार) को दोपहर 01:00 बजे स्थान- भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) रियांश्यामदास, तहसील-मेड़ता, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।


(राजकुमार मीणा) o/c
क्षेत्रीय अधिकारी